मैसर्स गोविंद रबर लिमिटेड,

बनाम

मैसर्स लाउड्स ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 11438/2014)

16 दिसंबर 2014

[एम.वाइ. इकबाल और आर. भानुमति, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस 6, 7(4),7(5)-मध्यस्थता समझौता-क्या पक्षकार इसके लिए सहमत थे कि विवाद को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर वस्तु विनिमय में भेजें भले ही मध्यस्थता समझौता नहीं हो- अभिनिर्धारित- यद्यपि मध्यस्थता समझौता लिखित में होते हुये भी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है यदि समझौते का रिकॉर्ड पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है -धारा 7(4)(सी) में प्रावधान है कि दावों और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान में एक मध्यस्थता समझौता हो सकता है जिसमें समझौते के अस्तित्व पर एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इंकार नहीं किया जाता-यदि प्रथम दृष्टया यह दिखाया जा सकता कि पक्ष यथास्थिति में हैं, तो केवल एक पक्ष द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर न करने का तथ्य ही समझौते के तहत दायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है-इसलिए अधिनियम की धारा 7(4)(बी),

धारा 7(4)(सी) व 7(5) के तहत हस्ताक्षर की कोई औपचारिक आवश्यकता नहीं है - इस मामले में, पक्षकारों का इरादा उनके मस्तिष्क मिलन और बिक्री अनुबंध की शर्तों के सहमति के संबंध में पत्राचार से स्पष्ट है कि जिसमें सिंगापुर वस्तु विनिमय में विवाद समाधान का मंच शामिल था- इसके अलावा, विवाद को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर वस्तु विनिमय में भेजे जाने के बाद, अपीलकर्ता ने नोटिस के जवाब में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक जवाबी दावा किया और कहा कि प्रतिवादी की ओर से समय पर माल की आपूर्ति की विफलता के मद्देनजर अपीलकर्ता को भारी नुकसान हुआ है-प्रतिदावा करते समय, अपीलकर्ता ने वास्तव में मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र प्रस्तुत किया।488

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1. एक समझौते पर, भले ही पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो, पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से समझा जा सकता है। हालाँकि, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पत्राचार का अर्थ लगाए कि क्या पक्षकारों के बीच कोई मस्तिष्क मिलन हुआ था जो उनके बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बना सकता है। न्यायालय के लिए पत्राचार से यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या पक्षकार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप थे। मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता खंड की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को तकनीकी नहीं

बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। [पैरा 12 और 13] [497-जी-एच]

एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (प्राइवेट) बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696:2009 (10) एससीआर 373; रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर (1980) 4 एससीसी 556 -विश्वास किया गया।

2. ए.सी. अधिनियम की धारा 7 के अवलोकन से पता चलता है कि मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए, इसे सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 7(3) में प्रावधान है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है। धारा 7(4) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, यदि यह सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। लेकिन धारा 7(4) के खंड (बी) और (सी:) के अवलोकन से पता चलता है कि एक लिखित दस्तावेज जिस पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, तब भी यह मध्यस्थता समझौता हो सकता है। धारा 7(4)(बी) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता समझौते को पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों के आदान-प्रदान से निकाला जा सकता है, जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। प्रावधानों को पढ़कर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक मध्यस्थता समझौते

पर भले ही लिखित रूप में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि समझौते का रिकॉर्ड पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों के आदान-प्रदान द्वारा प्रदान किया जाता है।

धारा 7(4)(सी) में प्रावधान है कि दावों और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान में एक मध्यस्थता समझौता हो सकता है जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। यदि प्रथम दृष्टया यह दर्शित किया जाता है कि पक्षकार सहमत हैं, तो केवल एक पक्ष द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर न करने का तथ्य स्वयं को समझौते के तहत दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। ई-कॉमर्स के वर्तमान समय में, इंटरनेट खरीदारी, टेली खरीदारी, इंटरनेट पर टिकट बुकिंग और अनुबंध के मानक रूपों के मामलों में, नियम और शर्तों पर सहमति होती है। ऐसे समझौतों में, यदि पक्षकारों की पहचान स्थापित हो जाती है, और समझौते का रिकॉर्ड होता है तो यह एक मध्यस्थता समझौता बन जाता है यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति दिखाने वाला कोई मध्यस्थता खंड होता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 7(4)(बी) या 7(4)(सी) या 7(5) के तहत हस्ताक्षर एक औपचारिक आवश्यकता नहीं है [पैरा 15, 16] [499-डी-एच; 500-ए-सी]

3. मध्यस्थता खंड वाले एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि समझौते को अमान्य करने के बजाय उसे

प्रभावी बनाया जा सके। स्वीकृत रूप में, प्रतिवादी ने माल की आपूर्ति के लिए एक बिक्री अनुबंध जारी किया, जिसमें उक्त बिक्री अनुबंध में क्रेडिट पत्र के बदले 100% प्रतिशत भुगतान और "सिंगापुर वस्तु विनिमय" के रूप में शासकीय शर्तें प्रदान करने सहित विभिन्न शर्तें शामिल थीं। हालाँकि अपीलकर्ता ने उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर खरीद आदेश जारी किया· लेकिन अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से बिक्री अनुबंध में उल्लिखित भुगतान शर्तों को बदलने का अनुरोध किया। प्रतिवादी द्वारा संशोधन का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। बिक्री अनुबंध में भुगतान अवधि पर संशोधन को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता द्वारा ईमेल भेजा गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता के अनुरोध पर, चालान को दो चालानों में विभाजित किया गया था और अनुरोध पत्र में बिक्री अनुबंध का संदर्भ दिया गया था। अपीलकर्ता बिक्री अनुबंध में निहित शर्तों पर माल की आपूर्ति करने के लिए आगे बढ़ा। पक्षकारों की मंशा से, जैसा

पत्राचार से प्रतीत होता है कि यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि पक्षकारों के बीच मस्तिष्क मिलन हुआ था और वे बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुरूप थे जिसमें सिंगापुर वस्तु विनिमय में विवाद समाधान का मंच शामिल था। इसके अलावा, विवाद को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर वस्तु विनिमय में भेजे जाने के बाद, अपीलकर्ता ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक प्रतिदावा किया और कहा कि प्रतिवादी की ओर से आपूर्ति में विफलता के कारण अपीलकर्ता को भारी नुकसान हुआ है।

प्रतिदावा करके, अपीलकर्ता ने वास्तव में मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत किया। [पैरा 17, 19, 20] [500-सी; 501-डी-एफ; 502-एफ-एच; 503-ए]

भारत संघ बनाम डी. एन. रेवरी एंड कंपनी ए. आई. आर. 1976 एससी 2257 : 1977 (1) एससीआर 483-पर निर्भर।

एस्ट्रो वेंडियर कम्पानिया नेवेरा एसए बनाम माबानाफ्ट जीएमबीएच (1970) 2 लॉयड का Rep.267: पॉल स्मिथ लिमिटेड बनाम एच एंड एस इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. (1991) 2 लॉयड का Rep.127 - संदर्भित किया गया।

4. यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता समझौते को लागू करने के लिए पक्षकारों की मंशा पर गौर किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह स्पष्ट करती है कि अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिक्री अनुबंध के अनुसार कार्य कर रहा था। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं। यद्यपि अपीलकर्ता को इस विवाद की पूरी सूचना और जानकारी थी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है और एक अवार्ड पारित किया गया है, लेकिन उक्त निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। इसके बजाय, अपीलकर्ता ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उक्त आधार

पर, विदेशी अवार्ड का विरोध करने का कोई वैध आधार नहीं है। उच्च न्यायालय ने सही माना कि विदेशी अवार्ड भाग II के तहत लागू करने योग्य है और पक्षकारों पर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी है। [पैराज 22,23 और 24] [503-एफ-एच; 504-ए-बी]

केयर्नक्रॉस बनाम लॉरिमर, (1860) 7 जुर एन. एस. 149; शरत चंदर डे बनाम गोपाल चंदर लाह, 19 आई. ए. 203; चौधरी मुर्तजा-हुसैन बनाम माउंट बीबी बेचुन्निसा, 3 आईए 209 - संदर्भित किया गया।

केस कानून संदर्भ:

2009 (10) एससीआर 373 सी भरोसा किया पैरा 10

(1980) 4 एससीआर 556 भरोसा किया पैरा 13

1977 (1) एससीआर 483 भरोसा किया पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्याः11438/2014

उच्च न्यायालय बॉम्बे के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2013, मध्यस्थता याचिका संख्या 174/2012 में।

जयन्त भूषण, वनिता भार्गव, अजय भार्गव (के लिये) अपीलकर्ता के लिए खेतान एंड कंपनी)।

प्रत्यर्थी की ओर से जय सावला, रेणुका साहू

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एम. वाइ इकबाल, जे.: 1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.2.2013 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 और 48 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी थी। (संक्षेप में, "अधिनियम"). उपरोक्त याचिका में, प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ 18 दिसंबर, 2009 के विदेशी अवार्ड को प्रत्यर्थी के पक्ष में और अपीलकर्ता के खिलाफ लागू करने और निष्पादित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि अपीलकर्ता वस्तुओं के आयात और निर्यात के साथ-साथ मुंबई में कारोबार कर रहा है और प्रत्यर्थी कंपनी का कार्यालय सिंगापुर में है। 20 अगस्त, 2008 को, अपीलकर्ता ने दलाल बी.बी. रबर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से (संक्षेप में, 'ब्रोकर') ने प्राकृतिक रबर RSS-3 (थाईलैंड मूल) की खरीद के प्रस्ताव की पुष्टि की। प्रत्यर्थी ने थाई RSS-3 के 200 मीट्रिक टन (MT) के लिए 2,880 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन, CIF न्हावा शेवा, भारत में एक बिक्री अनुबंध संख्या 0388733 जारी किया, जिसमें सितंबर, 2008 में शिपमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट के खिलाफ 100% भुगतान अवधि थी। प्रत्यर्थी

के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित उक्त बिक्री अनुबंध में "सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज" के रूप में शासकीय शर्तें प्रदान की गईं। अपीलकर्ता का नाम खरीदार के रूप में वर्णित किया गया था, जिसने खरीद आदेश संख्या BOM:P0:2008~09:286 दिनांक 21 अगस्त, 2008 जारी किया था। जैसा कि अपीलकर्ता ने अनुरोध किया था, इस खरीद आदेश द्वारा, अपीलकर्ता ने शर्तों पर आदेश दिया और उसमें शर्तें निर्धारित की गईं। इसके बाद अपीलकर्ता ने दिनांक 26 अगस्त, 2008 को ई-मेल के माध्यम से उक्त बिक्री अनुबंध में भुगतान अवधि को टीटी (टेलीग्राफ ट्रांसफर) द्वारा 10% अग्रिम और शेष 90% डीपी (भुगतान के विरुद्ध दस्तावेज़) द्वारा करने का अनुरोध किया। संशोधन के लिए प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार उसने 200 मीट्रिक टन आरएसएस 3 के लिए 2,880 अमेरिकी डॉलर/एमटी की दर से 10% अग्रिम भुगतान के लिए 27 अगस्त, 2008 को चालान जारी किया। यह प्रत्यर्थी का मामला है कि बाद में चालान को 100 मीट्रिक टन के दो चालान में विभाजित किया गया था, जिसके लिए अनुबंध मूल्य का 10% यूएस $ 28,800 था। 200 एमटी आरएसएस-3 का कार्गो तदनुसार नहावा शेवा को भेज दिया गया और शिपमेंट के मूल दस्तावेज अपीलकर्ता के बैंक को भेज दिए गए।

4. 11 अक्टूबर, 2008 को, दलाल ने अपीलकर्ता को प्रस्तुति पर भुगतान की शर्तों के रूप में लदान बिलों को अलग-अलग विभाजित करने के उनके अनुरोध की स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए एक पत्र भेजा।

प्रत्यर्थी ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 को इंडियन ओवरसीज बैंक में अपीलकर्ता के दस्तावेज लौटाये जाने का अनुरोध किया ताकि लदान के बिलों को छोटे बिलों में विभाजित किया जा सके। 31 अक्टूबर 2008 को प्रत्यर्थी ने

भुगतान के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक में पुन: प्रस्तुत करने हेतु लदान के संशोधित विभाजित बिल और चालान को भेजा। 31 अक्टूबर, 2008 को, अपीलकर्ता ने दोनों अनुबंधों के लिए गैर-परक्राम्य दस्तावेजों की स्वीकृति की पुष्टि की और भुगतान करने की शर्तों के रूप में मूल्य में कटौती का अनुरोध किया, जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार नहीं किया। 10 नवंबर, 2008 को, ब्रोकर ने अपीलकर्ता को अनुबंधों के प्रदर्शन पर जोर देने और अनुबंधों की घटनाओं के अनुक्रम को दोबारा बताने के लिए ईमेल किया। हालाँकि, अपीलकर्ता ने भुगतान नहीं किया।

5. प्रत्यर्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि 22 अगस्त, 2008 को, दलालों से आदेश की पुष्टि और बिक्री अनुबंधों पर फैक्स करने की सलाह मिलने पर, प्रत्यर्थी ने 25 अगस्त, 2008 को बिक्री अनुबंध जारी किया, जिसका नंबर 03S8739 था, जिसमें 2016 मीट्रिक टन (mt) SIR20 के लिए US $ 2,895/mt की दर से बिक्री अनुबंध जारी किया गया। सीआईएफ न्हावा शेवा, भारत, भुगतान अवधि 100% के साथ सितंबर, 2008 में शिपमेंट के लिए क्रेडिट पत्र, प्रत्यर्थी के अनुबंध के साथ

अपीलकर्ता को सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में शासकीय शर्तों को बताते हुए जिसने अपना खरीद आदेश संख्या बीओएम:पीओ: 208-09:290 जारी किया था। (संक्षेप में, उक्त अनुबंध को "दूसरा बिक्री अनुबंध" कहा जाता है)। 27 अगस्त, 2008 को ईमेल द्वारा अपीलकर्ता ने उक्त दूसरे बिक्री अनुबंध के संबंध में भुगतान शर्तों को बदलने का अनुरोध किया और प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के अनुरोध के अनुसार नई भुगतान शर्तों को स्वीकार कर लिया।

6. इस दूसरे बिक्री अनुबंध के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। प्रत्यर्थी ने, इसलिए 12 मई, 2009 के पत्र के माध्यम से बिक्री अनुबंध की शर्तों और मध्यस्थता में दावे के संलग्न बिंदुओं के अनुसार मध्यस्थता के लिए मामले को सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज को भेज दिया। सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज, एसआईसीओएम रबर अनुबंध विवाद समाधान समिति को 23 मई, 2009 को लिखे गए पत्र में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी की ओर से समय पर माल की दूसरे पक्ष के मानक अनुरूप आपूर्ति करने में विफलता के कारण अपीलकर्ता को भारी नुकसान हुआ है। उक्त पत्र के द्वारा, अपीलकर्ता ने प्रथम पक्ष पर 3734036.25 अमेरिकी डॉलर के लिए अपना प्रतिदावा दर्ज किया और

अपने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में श्री लियोन टिम फूक को नामांकन स्वीकार करने के लिए भी सहमति व्यक्त की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि

सिंगापुर वस्तु विनिमय या उसकी समिति के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि अधिकार क्षेत्र मुंबई में होगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 18 दिसंबर, 2009 को अवार्ड पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को अनुबंध के उल्लंघन के लिए प्रत्यर्थी को 716283 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने और 20330 सिंगापुर डॉलर की मध्यस्थता की लागत और खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता द्वारा पेश किये गये काउंटर क्लेम को खारिज कर दिया और एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि SICOM और उसके मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास विवाद में दो अनुबंधों पर मध्यस्थता क्षेत्राधिकार था और उक्त दो बिक्री अनुबंध मौजूद थे और वैध थे।

7. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अवार्ड को चुनौती नहीं दी। दूसरी ओर, वर्ष 2010 में, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति की भी प्रार्थना की गई। प्रत्यर्थी ने उक्त कार्यवाही में प्रस्ताव का नोटिस भी दायर किया है। उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने उक्त अवार्ड को डिक्री के रूप में लागू करने और निष्पादित करने के लिए 11 जनवरी, 2012 को मध्यस्थता याचिका दायर की। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और अदालत के समक्ष रखी गई सामग्रियों को देखने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता याचिका को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि अपीलकर्ता ने इस बात का कोई सबूत नहीं

दिया है कि 18 दिसंबर, 2009 के विदेशी अवार्ड को लागू करने से इनकार क्यों किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिदावा किया था और उसके बाद प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित फैसले और अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिदावे की अस्वीकृति को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, उक्त विदेशी अवार्ड भाग II के तहत लागू करने योग्य है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 46 के तहत पार्टियों पर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी है। यह मानने के बाद कि उक्त विदेशी अवार्ड लागू करने योग्य है, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अदालत के नियमों के अनुसार अवार्ड को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रार्थना खंड (बी) में प्रार्थना के रूप में अपनी संपत्ति और संपत्तियों की पूरी सूची शपथ पर पेश करने का भी निर्देश दिया।

8. इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अपीलकर्ता द्वारा कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए पेश की है कि क्या अधिनियम की धारा 7 के तहत पक्षकारों के बीच वैध मध्यस्थता समझौते के अभाव में, सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज के पास अपीलकर्ता की ओर से किसी भी मध्यस्थ को नियुक्त करने या मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था। अपीलकर्ता का मामला यह है

कि प्रत्यर्थी के कहने पर सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज के समक्ष संपूर्ण मध्यस्थ कार्यवाही, अधिकार क्षेत्र के बिना थी और अपीलकर्ता को बाध्य नहीं कर सकती।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने शुरू में ही कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिक्री अनुबंध जिसमें सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज को मध्यस्थता का उल्लेख किया गया था, उस पर अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और उसे वापस नहीं किया गया था। इसके विपरीत प्रत्यर्थी को भेजे गए खरीद आदेश में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार सहित वाणिज्यिक नियम और शर्तें शामिल हैं। उक्त खरीद आदेश प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था। इसलिए, सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज के पास विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के मामले की सराहना करने में विफल रहा है और यह मानने में घोर गलती की है कि अपीलकर्ता ने उसके द्वारा दायर प्रतिदावे में क्षेत्राधिकार नहीं उठाया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में खरीद आदेश में तय की गई विशिष्ट शर्तों के विपरीत, प्रत्यर्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताते हुए उक्त पत्र का जवाब नहीं दिया। श्री भूषण ने तब प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ द्वारा

भेजे गए नोटिस के जवाब में प्रतिदावा करना अधिकार क्षेत्र की छूट अंत में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करके गंभीर गलती की है कि अपीलकर्ता ने बिक्री अनुबंध पर निष्कर्ष अनुबंध के रूप में कार्य किया है।

10.इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता श्री जय सावला ने सबसे पहले तर्क दिया कि बिक्री अनुबंध एक निष्कर्ष अनुबंध है और अपीलकर्ता ने बिक्री अनुबंध की शर्तों पर समझौता किया और प्रत्यर्थी को आपूर्ति आदेश जारी किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने बिक्री अनुबंध में उल्लिखित भुगतान की शर्तों को टीटी द्वारा 10% अग्रिम और डीपी द्वारा 90% करने का अनुरोध किया। बिक्री अनुबंध में संशोधन के लिए उक्त अनुरोध को प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने हमेशा बिक्री अनुबंध का हवाला दिया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आपूर्ति आदेश में भुगतान शर्तों में कोई संशोधन कभी नहीं मांगा गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिक्री अनुबंध का हवाला देते हुए बिलों को विभाजित करने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया गया था और बिक्री अनुबंध में संशोधित शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय ने इन सभी तथ्यों की सही सराहना की है और फिर प्रस्तुत किया है कि पक्षकार बिक्री अनुबंध की शर्तों के मामले में सहमति थीं, जिसमें सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान शामिल था। विद्वान

वकील ने एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (प्राइवेट) बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड, (2009) 7 एससीसी 696 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया।

11. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर लाए गए सभी तथ्यों और दस्तावेजों का अध्ययन और विचार किया है।

12. कानून के तय किए गए प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एक समझौते को भले ही पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो, पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से अलग किया जा सकता है। हालाँकि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पत्राचार का अर्थ निकाले क्या पक्षकारों के बीच कोई मस्तिष्क मिलन हुआ था जो उनके बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बना सके।

न्यायालय के लिए पत्राचार से यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या पक्षकार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप थे।

13. यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि मध्यस्थता समझौता या मध्यस्थता खंड का अर्थ लगाते समय न्यायालयों को तकनीकी नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, (1980) 4-एससीसी 556, में कोर्ट ने यह कहा कि:-

"6. मध्यस्थता समझौते का किसी विशेष रूप में होना आवश्यक नहीं है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि यदि अनुबंध के विषय-वस्तु के संबंध में उनके बीच विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। तब ऐसी व्यवस्था एक मध्यस्थता समझौते को जन्म देगी।"

14. जहां तक विद्वान वकील अपीलकर्ता द्वारा किए गए पहले तर्क की बात है कि अपीलकर्ता ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह समझौते में एक पक्ष है, हम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है:

"7.मध्यस्थता समझौता:- (1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौता" का अर्थ पार्टियों द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो एक परिभाषित कानून के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(3) मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि इसमें गोविंद रबर लिमिटेड. बनाम लाउडस ड्रेफस

499

(ए) पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(सी) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बना दिया जाए।"

15. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए, इसे सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 7(3) में प्रावधान है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है। धारा 7(4) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, यदि यह सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। लेकिन धारा 7(4) के खंड (बी) और (सी) के अवलोकन से पता चलेगा कि एक लिखित दस्तावेज जिस पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है, तब भी यह मध्यस्थता समझौता हो सकता है। धारा 7(4)(बी) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता समझौते को पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों के आदान-प्रदान से भी निकाला जा सकता है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

16. प्रावधानों को पढ़कर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक मध्यस्थता समझौते पर भले ही लिखित रूप में पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि समझौते का रिकॉर्ड पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों के आदान-प्रदान द्वारा प्रदान किया जाता है। धारा 7(4)(सी) में प्रावधान है कि दावों और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान में एक मध्यस्थता समझौता हो सकता है जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। यदि प्रथम दृष्टया यह

दिखाया जा सकता है कि पक्षकार यथास्थिति में हैं, तो केवल एक पक्ष द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर न करने का तथ्य स्वयं को समझौते के तहत दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। ई-कॉमर्स के वर्तमान समय में, इंटरनेट खरीदारी, टेली खरीदारी, इंटरनेट पर टिकट बुकिंग और अनुबंध के मानक रूपों के मामलों में, नियम और शर्तों पर सहमति होती है। ऐसे समझौतों में, यदि पक्षकारों की पहचान स्थापित हो जाती है, और समझौते का रिकॉर्ड होता है तो यह एक मध्यस्थता समझौता बन जाता है यदि पक्षकार के बीच विज्ञापन को दर्शाने वाला कोई मध्यस्थता खंड होता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 7(4)(बी) या 7(4}(सी) या 7(5) के तहत हस्ताक्षर एक औपचारिक आवश्यकता नहीं है।

17. हमारी यह भी राय है कि मध्यस्थता खंड वाले एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि समझौते को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावी बनाया जा सके। एक वाणिज्यिक समझौते के निर्माण के सिद्धांत पर, चार्टर पार्टियों पर स्क्रूटन (17 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, लंदन, 1964) ने बताया कि वाणिज्यिक समझौते को शर्तों से पहले स्थान पर एकत्र किए गए अर्थ और अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। स्पष्ट, सामान्य और लोकप्रिय अर्थों में उपयोग और समझा जाना चाहिए (पृष्ठ 16 पर अनुच्छेद 6 देखें)। विद्वान लेखक ने यह भी कहा कि समझौते की व्याख्या पक्षकारों के तत्काल इरादे को प्रभावित करने के लिए' की जानी चाहिए। इसी तरह, रसेल ऑन

आर्बिट्रेशन (21वां संस्करण) ने एस्ट्रो वेंडर कंपेनिया नेवीरा एसए बनाम मबनाफ्ट जीएमबीएच (1970) 2 लॉयड्स रिपीट ~67 पर भरोसा करते हुए राय दी कि, यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो न्यायालय को ऐसा करना चाहिए। मध्यस्थता खंड को प्रभावी करने के पक्ष में झुकें जिस पर पक्षकार सहमत हुए हैं। विद्वान लेखक ने पॉल स्मिथ लिमिटेड बनाम एच एंड एस इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. (1991) 2 लॉयड्स रिप.127 में एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि मध्यस्थता समझौते को लागू करने में न्यायालय को पक्षकारों के इरादे को 'प्रभाव देने' की कोशिश करनी चाहिए" (पुस्तक का पृष्ठ 28 देखें)।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम डी.एन. रेवरी एंड कंपनी, एआईआर 1976 एससी 2257 के मामले में भी माना कि पक्षकारों के बीच एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि अनुबंध को अमान्य करने के बजाय प्रभावकारिता दी जा सके। विद्वान न्यायाधीशों ने इसे यह कहकर स्पष्ट किया:-

> "7. यह याद रखना चाहिए कि एक अनुबंध पक्षकारों के बीच एक वाणिज्यिक दस्तावेज है और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि अनुबंध को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावकारिता दी जाए। किसी अनुबंध की व्याख्या करते समय यह सही नहीं होगा। दो आम पक्षकारों के बीच, प्रतिबंध के सख्त नियम लागू करने के लिए

जो आम तौर पर एक परिवहन और अन्य औपचारिक दस्तावेजों पर लागू होते हैं। इस तरह के अनुबंध का अर्थ एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण अपनाकर इकट्ठा किया जाना चाहिए और इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण और कानूनी व्याख्या से विफल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि, प्रत्यर्थी ने माल की आपूर्ति के लिए एक बिक्री अनुबंध जारी किया, जिसमें उक्त बिक्री अनुबंध में क्रेडिट पत्र के खिलाफ सौ प्रतिशत भुगतान सहित विभिन्न शर्तें शामिल थीं और "सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज" के रूप में शासकीय शर्तें भी प्रदान की गई थीं। हालांकि अपीलकर्ता ने उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर दिनांक 21 अगस्त, 2008 को खरीद आदेश जारी किया, लेकिन अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से बिक्री अनुबंध में उल्लिखित भुगतान शर्तों को बदलने का अनुरोध किया। संशोधन के अनुरोध को प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया। इस समय, हम बिक्री अनुबंध में भुगतान अवधि पर संशोधन को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए 27 अगस्त, 2008 के ईमेल को यहां नीचे उद्धृत करना चाहेंगे।

"हाय मी क्वान,

जैसा कि एंड्रयू वाईड के साथ चर्चा और पुष्टि की गई है। गोविंद. रबर की फुटपाथ शर्तों को बदल दिया गया है: टीटी द्वारा 10% अग्रिम,

दृष्टि में गिरावट के खिलाफ संतुलन, इसलिए, कृपया अपने बिक्री अनुबंध को तदनुसार संशोधित करें और मुझे दोनों अनुबंधों के लिए बिक्री अनुबंध और प्रोफार्मा चालान अलग-अलग भेजें।अपनी पिछली कार्रवाई की प्रतीक्षा करें, क्योंकि गोविंद रबर आज 10% अग्रिम टीटी भेजना चाहता है और आपके प्रोफार्मा चालान की प्रतीक्षा कर रहा है।

आरजीडीएस,

बीजू

वास्तविक सन्देश

From: MeeKwan.Yip@idcommodities.com

To: bbr@vsnl.com

Cc: Andrew.Trevatt@idcommodities.com;

Christina.Chia@idcommodities.com

विषय: पुन: गोविंद रबर।"

20. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और आक्षेपित आदेश में संदर्भित दस्तावेजों से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर, चालान को दो चालानों में विभाजित किया गया था और अनुरोध पत्र में बिक्री अनुबंध का संदर्भ दिया गया था। अपीलकर्ता बिक्री अनुबंध में निहित शर्तों पर माल की आपूर्ति करने के लिए आगे बढ़ा। पक्षकारों

के इरादे, जैसा कि पत्राचार से पता चलता है, इसमें सुरक्षित रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है कि पक्षकारों के बीच मन की बैठक हुई थी और वे बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुरूप थे जिसमें सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज में विवाद समाधान का मंच शामिल था। इसके अलावा, विवाद को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज में भेजे जाने के बाद, अपीलकर्ता ने नोटिस के जवाब में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष एक जवाबी दावा किया और कहा कि प्रत्यर्थी की सामान की आपूर्ति करने की विफलता के मद्देनजर अपीलकर्ता को भारी नुकसान हुआ है।

प्रतिदावा करके, अपीलकर्ता ने वास्तव में मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत किया।

21. केयर्नक्रॉस बनाम लोरिमर, (1860) 7 जुर एनएस 149 के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को शरत चंदर डे बनाम गोपत चंदर लाहा, 19 आईए 203 के मामले में न्यायिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। हम प्रिवी काउंसिल के किसी अन्य निर्णय से एक अंश पढ़ने की स्वतंत्रता भी ले सकते हैं जहां ऐसे मामलों पर लागू सामान्य सिद्धांत बताया गया है। "कुल मिलाकर, लार्डशिप का मानना है कि अपीलकर्ता जिसे उन परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान था, जिनके आधार पर उसने मध्यस्थों के अवार्ड देने की प्रक्रिया पर आपत्ति

की जा सकती है, उसके द्वारा मध्यस्थता चलाने दी गई- उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि मध्यस्थों को मामले में उस तरह से निपटाना चाहिए, जैसा मामला उनके सामने था, इस बात का जोखिम लेते हुए निर्णय कमोबेश उनके पक्ष में होगा; और अवार्ड पारित हाेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसके द्वारा अवार्ड के संबंध में आपत्ति दाखिल करने में देर हो चुकी होगी": ***चौधरी मुर्तजा- होसैन बनाम माउंट बीबी बेचुन्निसा***, 3 आईए 209 का मामला देखें। यह सच है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता की योग्यता का प्रश्न है मध्यस्थ का जो एक अर्थ में क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, लेकिन यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार जैसा नहीं है, क्योंकि मध्यस्थों का क्षेत्राधिकार पक्षकारों की सहमति से प्राप्त होता है।

22. यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता समझौता करने के लिए पक्षकरों की मंशा पर गौर किया जाना चाहिए। यहां ऊपर चर्चा की गई रिकॉर्ड की सामग्री यह स्पष्ट करती है कि अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिक्री अनुबंध के अनुसार कार्य कर रहा था। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं।

23. यह विवाद में नहीं है कि यद्यपि अपीलकर्ता को विवाद की पूरी सूचना और जानकारी थी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवाद

निस्तारित कर दिया गया था और 18 दिसंबर, 2009 को एक अवार्ड पारित किया गया था,

लेकिन उक्त निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इसके बजाय, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति की प्रार्थना करते हुए प्रत्यर्थी के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया।

24. उपरोक्त आधार पर, हमें विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में सही माना है कि विदेशी अवार्ड भाग II के तहत लागू करने योग्य है और पक्षकार पर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी है।

25. अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन कोस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक शक्ति सिंह (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।